(33) CCMS NO – 2022/127

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

श्रीमति बच्ची देवी बनाम गोपाल व अन्य

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 संख्या 35/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट् श्री अशोक बटवाल एड्व. उपस्थित। इनकी बहस एडमीशन पर सुनी गई। अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से विचारार्थ ग्रहण की जाती है। दर्ज रजिस्टर हो। ततपश्चात अधिवक्ता अपीलांट् की एकतरफा अन्तरिम बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट् की एकतरफा अन्तरिम बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टतया सुविधा एवं संतुलन का तथ्य अपीलांट् के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः पत्रावली के अवलोकन एवं बहस अधिवक्ता अपीलांट् के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थगन अन्तरिम तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.06.2022 तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। स्थगन आदेश की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। रेस्पोडेन्टस् की तलबी व तहत रिकार्ड तलब कर पत्रावली दिनांक 21.06.2022 को पेश हो। (डॉ.गिरीश पाराशर) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर	Intimation 1228-29 10/5/22 नोटिस 1230-31 10/5/22
21/6/22 नि. बच्ची देवी [illegible] (रामकेश गुर्जर?)	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत किया। वकील अपीलार्थी श्री अशोक बटवाल, एड. ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी अपील में हम पक्षकारान के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप अब उक्त अपील को चलाने की कोई कानूनी आवश्यकता शेष नहीं रही है। ऐसी दशा में उक्त अपील अपीलार्थीनी विड्रा करना चाहती है। उपरोक्त उनवानी अपील को P.T.O.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील सं. 35/2022 रेन्सा बच्ची देवी बनाम गोपाल व अन्य	
	अपीलार्थीनी नहीं चलाना चाहती है। अपीलार्थीनी की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील विड्रो करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से अपीलार्थीनी स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहती है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीनी का प्रा. पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीनी स्वयं अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेखे — भण्डार हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner